रजिस्टर्ड

संख्या / No. पेंशन प्राधिकृति/आदेश/के-85/2017-18/ 619

सत्यमेव जयते

397556636
669

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date 19.05.2017

प्रधान महालेखाकार (ले एवं ह) का कार्यालय
O/o. the Prl. Accountant General (A&E)
INWARD
24 MAY 2017

श्रीमान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक),
आन्ध्र प्रदेश, सैफाबाद रोड,
हैदराबाद
- 500004 -

विषयः- राजस्थान न्यायिक / उच्चत्तर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (सेवानिवृत/मृतक) को छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत 01.07.2016 एवं उसके पश्चात् बढे हुए मंहगाई राहत का भुगतान बाबत ।

महोदय,

राजस्थान न्यायिक / उच्चत्तर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (सेवानिवृत/मृतक) को छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत 01.07.2016 एवं उसके पश्चात् बढे हुए मंहगाई राहत के भुगतान बाबत निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्रांक प.5(247) निपेवि/नियम/2010/पार्ट-I/576-630H दिनांक 21.4.2017 की प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त पत्र की फोटो प्रति अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों/ बैंक शाखाओं को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करें ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार (1)

OGP

भवदीय

(हस्ताक्षर)
वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधि.

O/o Prl Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad
24-MAY-17
4 7 4 4 6 2
474462

जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाषः(0141) 2385431-39, फैक्सः(0141)2385263
Janpath, Jaipur- 302005, Tel.:(0141) 2385431-39, Fax : (0141) 2385263
ई मेल / E-Mail : agaerajasthan@cag.gov.in

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–प.5 (247) निपेवि / नियम / 2010 / पार्ट–I / 576-630 H   दिनांकः 31-01-2017

(1) कोषाधिकारी (समस्त)
.................................राजस्थान
(2) महालेखाकार (लेखा एंव हक)
राज.जयपुर
(3) निदेशक, कोष एवं लेखा
राज.जयपुर।

विषयः– राजस्थान न्यायिक / उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (सेवानिवृति / मृतक) को छठे वेतन आयोग के अंतर्गत 01.07.2016 एंव इसके पश्चात बढ़े हुये महंगाई राहत का भुगतान बावत।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयान्तर्गत राजस्थान न्यायिक सेवा के सेवानिवृत / मृतक अधिकारी जिन्हे वर्तमान में पेंशन पर केन्द्र सरकार के सेवानिवृत कार्मिकों के समान मंहगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है, उनके द्वारा छठे वेतन द्वारा आयोग के अनुसार 01.07.2016 से बढ़े हुऐ महंगाई राहत के भुगतान हेतु इस विभाग को आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे कार्मिको के संबंध में जिनका वेतन निर्धारण 7 वें वेतन आयोग के अंतर्गत नहीं हुआ है, केवल कार्मिको को ही 01.07.2016 एंव 01.01.2017 से क्रमशः महंगाई राहत 132 % एंव 136 % देने के आदेश जारी कर दिये गये है किन्तु पेंशनर्स के संबंध में महंगाई राहत के आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

अतः जब तक केन्द्र सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे कार्मिको के संबंध में बढे हुए महंगाई राहत के आदेश जारी नहीं कर दिये जाते, तब तक राजस्थान न्यायिक / उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत / मृतक अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा जारी महंगाई राहत आदेश के अनुसार बढे हुए महंगाई राहत का भुगतान करना सुनिश्चित करावे। केन्द्र सरकार द्वारा मंहगाई राहत के आदेश जारी किये जाने पर भुगतान की गई मंहगाई राहत का समायोजन किया जावे।

भवदीय
(अरूण कुमार गुप्ता)
निदेशक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हे।

1. मुख्य प्रबंधक सरकारी लेखा एसबीबीजे तिलक मार्ग, जयपुर।
2. मुख्य प्रबंधक (सीपीपीसी) एस.एम.एस. हाईवे, चौडा रास्ता, जयपुर।
3. उप महाप्रबंधक (बैंकिग एण्ड ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस–I)एसबीआई नेहरू पैलेस , टोंक रोड जयपुर।
4. फील्ड महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैक, नेहरू पैलेस, टोंक रोड, जयपुर।
5. महाप्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा 13, बड़ौदा भवन, क्षेत्रीय कार्यालय, 5 वी मंजिल एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा, जयपुर।
6. सहायक उप महाप्रबधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ,आंनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।
7. सहायक महाप्रबंधक यूको बैंक क्षेत्रीय कार्यालय आर्केड, अजमेर रोड, जयपुर।
8. उप महाप्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लालकोठी , सब्जी मंडी जयपुर।
9. सहायक महाप्रबंधक इलाहाबाद बैक, एल.आई.सी. भवन, जयपुर।
10. सहायक महाप्रबंधक ओरीयन्अल ऑफ कॉमर्स ई–32 कमला मार्ग सी–स्कीम जयपुर।
11. सहायक महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला , बी –12, बर्फ खाना , आर्दश नगर, गोविन्द मार्ग जयपुर।
12. क्षेत्रीय महाप्रबंधक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 107 अंहिसा सर्किल, सी–स्कीम जयपुर। को कोषाधिकारी पेंशन जयपुर के पत्रांक 8347–58 दिनांक 24.10.2016 से दिये गये निर्देशों के क्रम मे पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
13. उप निदेशक (ए.सी.पी.) कार्यालय हाजा पेंशन विभाग जयपुर को कंप्यूटर पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक